आयकर आयुक्त, दिल्ली- VI

बनाम

मेसर्स ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

(2008 की सिविल अपील सं. 4521)

18 जुलाई, 2008

(डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सतशिवम, जे.जे.)

सरकारी मुकदमा-सरकार और सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच विवाद- अपील दायल करने की तारीख से एक महीने के भीतर मुकदमेबाजी के लिए विवाद समिति से मंजूरी प्राप्त नहीं करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा राजस्व की अपील अपास्त की गई अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया किः कोई कठोर समय सीमा नहीं है, अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करनी होती है समिति से संपर्क करने में केवल देरी के कारण ही कार्यवाही अवैध नहीं हो जाती। अदालत को यह जांचना है कि क्या कोई उदासीनता और सुस्ती थी और उचित मामलों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था, तथ्यों पर, ऐसी स्थिति नहीं थी-इस प्रकार, उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त कर दिया गया- उच्च न्यायलाय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर मामले में आगे बढ़ना है या नहीं।

वह प्रश्न जो इस अपील में विचार के लिए उठा था क्या उच्च न्यायालय ने राजस्व की अपील खारिज करने में गलती की थी चूंकि विवाद सरकार व आयकर विभाग और सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र के बीच था। अपील दाखिल करने की तारीख से एक महीने के भीतर मंजूरी प्राप्त करनी थी।

आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1 दर्शाया गया कि कोई कठोर सीमा नहीं है। एक महीने का दबाव मात्र तात्कालिक आवश्यकता देखने हेतु है। एक माह का समय तात्कालिकता दिखाने का था। केवल समिति से संपर्क करने में कुछ देरी होने से कार्यवाही अवैध नहीं हो जाती। समिति मामले में शीघ्रता से निपटे ताकि अपीलों का आवश्यक बैकलोग न हो जो अंततः समाप्त नहीं किया जा सके। इस मायने में, यह अनिवार्य है कि संबंधित अधिकारी तत्काल कार्रवाई करे अन्यथा इच्छित उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। उदासीनता का कोई गुंजाइश नहीं है। न्यायालय द्वारा इसका परीक्षण किया जाना है कि क्या कोई उदासीनता और सुस्ती थी और उचित मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। इन मामलों में तथ्यात्मक स्थिति ऐसी नहीं है। इसलिए, उच्च न्यायालय के प्रत्येक आदेश को अपास्त किया गया। इस न्यायालय द्वारा समिति के रिपोर्ट की आवश्यकता के प्रश्न पर निर्देशित किया गया। (पैरा 10) [1160-ए,बी,सी,]

1.2 इस संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं की गई है कि भले ही समिति ने स्वीकृति देने से इनकार कर दिया हो तब भी उचित मुद्दों को उचित कार्यवाहियों में उठाया जा सकता है। लेकिन जहां समिति ने विलंबित दृष्टिकोण के आधार पर मामले से निपटने से इनकार कर दिया है, वहां वर्तमान आदेश कायम नहीं रखा जा सकता है। समिति को गुण-दोष के आधार पर मामले पर विचार करना होगा। (पैरा 10) [1160-डी,ई]

1.3 जहां समिति द्वारा अनुमति दी गई है, अदालत को जांच करने में कोई बाधा नहीं है। मामले में गुण-दोष पर निर्णय लें। लेकिन जहां कोई विलंबित दृष्टिकोण नहीं है, मामले को तय करना होगा। न्यायालय को यह तय करना है कि क्या अस्पष्ट

तथा कार्यवाही में उदासीनता के कारण कार्यवाही करने से इनकार किया गया है। यह प्रत्येक मामले में तथ्यात्मक परिदृश्य पर निर्भर करेगा। इसका स्ट्रेट जैकेट सूत्र नहीं अपनाया जा सकता है। (पैरा 12) [1160-ई, एफ,जी,]

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग बनाम केंद्रीय कलेक्टर उत्पाद शुल्क 2004(6) एस.सी.सी. 437; तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और ए.एन.आर. बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर 1995 अनुपूरक (4) एस.सी.सी. 541; तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड बनाम शहर और औद्योगिक विकास निगम, महाराष्ट्र लिमिटेड और अन्य 2007(7) एस.सी.सी. 39- संदर्भित केस।

मामला कानून संदर्भ

2004(6) एस.सी.सी. 437 का उल्लेख किया गया। पैरा 2 और 5

1995 पूरक(6) एस.सी.सी. 541 का उल्लेख किया गया है। पैरा 6 और 7

2007(7) एस.सी.सी. 39 संदर्भित। पैरा 9

सिविल अपील क्षेत्राधिकार; सिविल अपील सं. 2008 की 4521

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2005 आई.टी.ए. सं. 470 में के साथ 2005 का सी. ए. सं. 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527 और 4528, 4529, 4530 और 4537 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 22.9.2005 से ।

अपीलार्थी की ओर से डॉ. आर.जी. पाडिया, अलका शर्मा, संजीव भारद्वाज, देब कुमार और बी.वी. बलराम दास।

प्रत्यर्थी के लिए आर.एस. सूरी, महुआ सी. कालरा और जागीर सिंह छाबड़ा।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

डॉ. अरिजीत पसायत, जे

1. अनुमति दी गई।

2. इन सभी अपीलों में एक जैसे प्रश्न अंतर्वलित हैं। प्रत्येक मामले में करदाता एक बीमा कंपनी है और बीमा अधिनियम, 1983 (संक्षेप में 'बीमा अधिनियम') के अंतर्गत आते है। अपीलकर्ता के अनुसार प्रत्येक बीमा कंपनी का मूल्यांकन धारा 44 आयकर अधिनियम 1961 की पहली अनुसूची के नियम 5 के तहत किया जाना चाहिए। प्रत्येक मामले में एक मूल्यांकन किया गया था और आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा इसे बरकरार रखा गया था। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') ने किए गए वृद्धि को हटा दिया। ट्रिब्यूनल ने प्रतिवादी-बीमा कंपनी के पक्ष को स्वीकार कर लिया। कुछ अन्य जुड़े मामलों का भी निपटारा किया गया। इन सभी अपीलों में प्रश्न यह है कि क्या विभाग इस न्यायालय के आदेश के अनुसार गठित विवाद समिति (संक्षेप में 'सीओडी') से मंजूरी प्राप्त किए बिना अपील और/या याचिका दायर कर सकता है। हाई कोर्ट के मुताबिक इस मामले को उक्त कमेटी के पास भेजना जरूरी था। उच्च न्यायालय ने माना कि इस न्यायालय के आदेश ऑयल व नेचुरल कमीशन बनाम कलेक्टर सेन्ट्रल एक्साइज के अनुसार एक महीने की अवधि के भीतर ऐसा किया जाना था। अतः अपीलें खारिज कर दी गईं।

3. उच्च न्यायालय ने माना कि चूंकि इस न्यायालय ने समय सीमा निर्धारित की है, इसलिए इससे किसी भी फेरफार की कोई गुंजाइश नहीं है।

4. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि वास्तव में कोई वैधानिक और या कठोर समय सीमा निर्धारित नहीं है। इस न्यायालय ने केवल शीघ्र कार्रवाई की वांछनीयता पर प्रकाश डाला ताकि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचा जा सके।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि कुछ मामलों में संबंधित समिति ने भी अनुमति देने से इनकार कर दिया है और वे अपीलें निरर्थक हो गई हैं।

ऑयल व नेचुरल गैस कमीशन बनाम कलेक्टर सेन्ट्रल एक्साइज के अनुसार न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः

> “5. यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित मामले भी उच्चाधिकार प्राप्त समिति के विचार-विमर्श का विषय होना चाहिए। आज तक लंबित सभी मामले या तो भारत संघ या किसी अन्य द्वारा स्थापित है या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का उन्हें आज से एक महीने के भीतर अपीलकर्ता या याचिकाकर्ता द्वारा, जैसा भी मामला हो, उच्चाधिकार कमेटी को भेजा जाएगा- उच्चाधिकार प्राप्त समिति इन मामलों से शीघ्रता से निपटेगी और मामलों को सुलझाने का प्रयास करेगी।"

6. तदनुसार, भारत संघ या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण के समक्ष अपील या याचिका दायर करने पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए ताकि लिमिटेशन से बचा जा सके। लेकिन, ऐसी फाइलिंग से पहले उच्चाधिकार प्राप्त समिति की मंजूरी लेने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।

7. हालाँकि, यदि ऐसी अदालत या न्यायाधिकरण के समक्ष ऐसे न्यायिक उपचार की मांग की जाती है तो अदालत या न्यायाधिकरण को क्या करना चाहिए, 11-10-1991 का आदेश स्पष्ट करता हैः (एससीसी पृष्ठ 542, पैरा 4)

> ”4. प्रत्येक न्यायालय और प्रत्येक न्यायाधिकरण का दायित्व होगा कि इसके बाद जहां इस तरह का विवाद उठाया जाता है, वह समिति से मंजूरी की मांग करे, यदि ऐसा अनुरोध नहीं किया गया है और मंजूरी के अभाव में, कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।"

8. जहां भी अपील, याचिकाएं आदि उच्चाधिकार प्राप्त समिति की मंजूरी के बिना दायर की जाती हैं ताकि लिमिटेशन से बचा जा सके, अपीलकर्ता या याचिकाकर्ता, जैसा भी मामला हो, ऐसी फाइलिंग से एक महीने के भीतर मामले को उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी को संदर्भित करेगा। भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय में नामित प्राधिकारी को पूर्व सूचना देकर उस संबंध में नोटिस प्राप्त करने के लिए अधिकृत है। श्री केटीएस तुलसी, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति के इन संदर्भों के समन्वय के लिए सरकार कैबिनेट सचिवालय में अवर सचिव (समन्वय) को इन संदर्भों के समन्वय के लिए नोडल प्राधिकारी के रूप में नामित करने का प्रस्ताव करती है। उक्त नोडल प्राधिकारी के पास संदर्भ की सूचना दर्ज होने के बाद ही निर्देश दिया गया माना जाएगा और प्रभावी होगा। यदि भारत संघ के मामले में, इसके सचिव, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में इसके अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी द्वारा किया गया निर्देश वैध माना जाएगा। उच्चाधिकार प्राप्त समिति को इस तरह का निर्देश दिए जाने के बाद ही संकेतित तरीके से आदेश या चुनौती के तहत कार्यवाही को तब तक निलंबित कर दिया जाएगा जब तक कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति विवाद का समाधान नहीं कर देती या मुकदमेबाजी को मंजूरी नहीं दे देती। यदि उच्चाधिकार प्राप्त समिति अपने द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों से मामले को हल करने में असमर्थ है, तो वह मुकदमेबाजी के लिए मंजूरी दे देगी।

6. इस न्यायालय द्वारा 11.10.1991 को पारित आदेश का हवाला देते हुए अर्थात तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और अन्य बनाम कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज (1995 सप्लीमेंट (4) एससीसी 541), में इस न्यायालय ने माना कि एक ओर भारत संघ और दूसरी ओर सार्वजनिक उपक्रम के बीच विवादों को सुलझाने के लिए

उच्चाधिकार प्राप्त समिति के कार्य की स्थापना के मामले में कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है इसलिए कुछ गलतफहमी उत्पन्न हो गई है।

7. ओएनजीसी केस नंबर यानी (1995 सप्लिमेंट (4) एससीसी 541) में पैरा 3 में इसे इस प्रकार नोट किया गया थाः

> "हम निर्देश देते हैं कि भारत सरकार और मंत्रालय के बीच, मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच, और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अन्तर्गत होने वाल विवादों की निगरानी के लिए उद्योग मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो और कानून मंत्रालय के प्रतिनिधियों से युक्त एक समिति का गठन भारत सरकार द्वारा किया जाये। जिससे यह सुनिश्चित हो कि कोई भी मुकदमा समिति द्वारा पहले जांच किए बिना और उसकी मंजूरी लिए बिना अदालत या अधिकरण में न आएं। सरकार किसी विशिष्ट मामले में संबंधित मंत्रालय के एक प्रतिनिधि को और वित्त मंत्रालय के एक प्रतिनिधि को समिति में शामिल कर सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों को ही नामित किया जाना चाहिए ताकि समिति स्थिति, नियंत्रण और अनुशासन के साथ कार्य कर सकें।"

8. पैरा 4 में इसे इस प्रकार दर्शित किया गयाः

> “यह प्रत्येक न्यायालय और प्रत्येक न्यायाधिकरण का दायित्व होगा जहां इसके बाद इस तरह का विवाद उठाया जाता है तो समिति से मंजूरी की मांग की जाएगी और यदि ऐसा आक्षेप नहीं उठाया है तो भी मंजूरी के अभाव में कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।"

9. इसके बाद, राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से जुड़े विवादों पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया और ऐसा ही एक मामला तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड बनाम शहर और औद्योगिक विकास निगम, महाराष्ट्र लिमिटेड और अन्य में निपटाया गया। (2007 (7) एससीसी 39)।

10. इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि वास्तव में इस न्यायालय द्वारा कोई कठोर समय सीमा नहीं बताई गई थी। एक महीने के समय पर जोर इस बात पर दिया गया था कि तत्परता दिखाने की जरूरत है। केवल इसलिए कि समिति से संपर्क करने में कुछ देरी हुई, इससे कार्रवाई अवैध नहीं हो जाती। समिति को इस मामले को शीघ्रता से निपटाने की आवश्यकता है ताकि अपीलों का कोई अनावश्यक बैकलॉग न हो, जिस पर अंततः कार्रवाई नहीं की जा सके, इस अर्थ में, यह जरूरी है कि संबंधित अधिकारी तत्काल कार्रवाई करें अन्यथा इच्छित उद्देश्य विफल हो जाएगा। सुस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है न्यायालय द्वारा इसका परीक्षण किया जाना है कि क्या कोई उदासीनता और सुस्ती थी और उचित मामलों में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया जाए। इन मामलों में तथ्यात्मक स्थिति वैसी नहीं है। इसलिए, हम प्रत्येक मामले में उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हैं और संबंधित समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसके समक्ष मामले में आगे बढ़ने की वांछनीयता के प्रश्न पर विचार करने का निर्देश देते हैं।

11. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि भले ही समिति ने अनुमति देने से इनकार कर दिया हो, फिर भी वह उचित कार्यवाही में मुद्दों को उठाने के लिए खुला है। हम उस संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं करते. लेकिन जहां समिति ने विलंबित दृष्टिकोण के आधार पर मामले से निपटने से इनकार कर दिया है, वहीं हमारे वर्तमान आदेश को देखते हुए इसे कायम नहीं रखा जा सकता है। समिति को मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार करना होगा।

12. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जहां समिति द्वारा अनुमति दी गई है, वहां मामले की जांच करने और योग्यता के आधार पर निर्णय लेने में न्यायालय को कोई बाधा नहीं है। लेकिन जहां ऊपर बताए अनुसार कोई विलंबित दृष्टिकोण नहीं है, वहां मामले पर निर्णय लेना होगा। अदालत को यह तय करना है कि क्या अस्पष्ट देरी और सुस्त कार्रवाई के कारण वह मामलों पर विचार करने से इनकार कर देगी। यह प्रत्येक मामले में तथ्यात्मक परिदृश्य पर निर्भर करेगा, और कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं अपनाया जा सकता है।

13. तदनुसार उपरोक्त सीमा तक अपीलें स्वीकार की जाती हैं। खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।

एन.जे.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मीनाक्षी नाथ (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।